न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

अपील संख्या 10 सन् 2022 निर्णय दिनांक 09.02.2022

भवानी शंकर परिहार, बी.पी.ओ. न्यामा, साजासर, सुजानगढ़ । – **प्रार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सुजानगढ़ जिला चूरू – **अप्रार्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 05.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सुजानगढ़ जिला चूरू को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की तल्बी जारी पत्र क्रमांक रीडर/अपील/आर.टी.आई./2022/904–905 द्वारा की गई।

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सुजानगढ़ से दिनांक 07.02.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा बी.पी.एल. श्रेणी में आवेदन किया है जबकि आवेदन में इस संबंध में बी.पी.एल. कार्ड अथवा किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि बी.पी.एल. श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इस संबंध में आवेदक को बी.पी.एल. श्रेणी का राशन कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक बी.पी.एल. श्रेणी का है, पेश करना होता है। किन्तु प्रार्थी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य अपील निस्तारित की जाती है साथ ही लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि यदि निर्धारित समयावधि में प्रार्थी को सूचना नहीं दी जाती है तो प्रार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना निशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू